संख्या-673जेएल/22-3-2023-673जेएल/23

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20-10-2023

विषय:- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध 02 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-31689/सामा-1(7)/ रामपुर/बंदी स्था0/2023, दिनांक 20-10-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118, सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध निम्नलिखित सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम, जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3	4
1	आजम खां पुत्र श्री मुमताज खां	जिला कारागार, रामपुर	जिला कारागार, सीतापुर
2	अब्दुल्ला आजम खां पुत्र आजम खां	जिला कारागार, रामपुर	जिला कारागार, हरदोई

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर/सीतापुर/हरदोई।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रामपुर/सीतापुर/हरदोई।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर/सीतापुर/हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, रामपुर से सम्बन्धित कारागारों में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।